<u>कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक राजस्थान, जयपुर</u>

जिला /वनमण्डल डूंगरपुर में थाना मेवाडा (हिम्मतपुर) से गुजरात राज्य की सीमा तक 17/900 से 19/400 एवं 20/150 से 23/500 के मध्य सुदृडिकरण /विस्तार कार्य हेतु दिनांक 19.2.2015 को FP/RJ/ROAD/9317/2015 से 8.32 है0 का प्रस्ताव ऑनलाईन प्रस्तुत किया गया है। संशोधित 12.508 है0 वन भूमि प्रत्यावर्तन के प्रस्ताव में पार्ट ।।एवं पार्ट ।।। की पूर्ती होने के प्श्चात प्राप्त हुआ है। प्रस्ताव का परीक्षण करने पर निम्नानुसार वस्तुस्थिति सामने आयी है।

1. प्रस्ताव के बिन्दु संख्या A-1(iii) में प्रस्ताव के बारे में संक्षिप्त विवरण दिया जाना अपेक्षित है जिसमें कार्य का विवरण, स्थान का नाम, योजना का नाम इत्यादि का विवरण दिया जाना अपेक्षित है।
2. U/A द्वारा प्रस्ताव के बिन्दु संख्या B-2.3 में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा ग्राम अनुसार प्रत्यावर्तित वन भूमि के विवरण में ग्राम के स्थान पर अनसर्वेयड भूमि का उल्लेख किया गया है। इसमें यदि वन क्षैत्र किसी ग्राम में शामिल नही है है तो अनसर्वेयड भूमि (कोई ग्राम में सम्मिलित नही) का नाम अंकित करें।
3. U/A द्वारा प्रस्ताव के बिन्दु संख्या C-ii (b) में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा KML file को सही अपलोड नही किया गया है। KML file में वन/गैर वन सीमा को पृथक पृथक दर्शाया जाकर KML file polygon shape में दिया जाकर किया जाकर पुनः अपलोड किया जाना प्रस्तावित है।
4. U/A द्वारा प्रस्ताव के बिन्दु संख्या C-iii में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा GT Sheet Map जो उपलब्ध कराया गया है उसमें इंडेक्सिग सही नही है एवं अधिकृत अधिकारी द्वारा हस्ताक्षर भी नही किये गये है। जो किया जाना प्रस्तावित है।
5. U/A द्वारा प्रस्ताव के बिन्दु संख्या C-iv में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा DGPS/Total Station Map जो उपलब्ध कराया गया है सही नही है DGPS/Total Station Map जिसमें प्रत्यावर्तित की जाने वाली वनभूमि के अक्षांश–देशान्तर नम्बर सहित वनसीमा का स्पष्ट अंकन हो, लिया जाना प्रस्तावित है।
6. U/A द्वारा प्रस्ताव के बिन्दु संख्या K-(i) में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा FRA certificate संलग्न किया गया है। जो कि 18 है भूमि एवं 12.508 है0 भूमि के लिए है जिनमें से एक को हटाया जाना प्रसतावित है। प्रस्तुत प्रमाण पत्र में प्रत्यावर्तन के बदले दी गई भूमि के बारे में वर्णन किया गया है जबकि इसमें प्रतयावर्तन हेतु प्रस्तावित वन भूमि पर वनअधिकार अधिनियम 2006 के अंतर्गत कार्यवाही कर उक्तानुसार प्रमाण पत्र मय संलग्न भिजवाये जाने प्रस्तावित है।
7. U/A द्वारा प्रस्ताव के बिन्दु संख्या L में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तुत की गई सूचना मे KML फाईल अपलोड नही की है एवं GT Sheet and DGPS Map भी पुरानी स्वीकृत भूमि का संलग्न किया गया है। संशोधित लगाया जाना प्रस्तावित है। साथ ही विभाग के नाम जमाबंदी एवं खसरा मेंप सेलग्न किया जाना है।
8. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अतिरिक्त सूचनाओ में निम्न सूचना दिया जाना अपेक्षित है।
   1- प्रस्तुत की गई एरिया केलकुलेशन शीट में पूर्व में बनी हुई निर्मित सडक को प्रसतावित प्रत्यावर्तन में शामिल नही किया गया है। कारण स्पष्ट किया जावे। ली जाने वाली छूट से संबंधित दस्तावेज संलग्न किये जाने प्रस्तावित है।
   2- प्रस्ताव में से पुराने दस्तावेज को हटाया जावे।

9- मुख्य वन संरक्षक उदयपुर द्वारा प्रस्तुत हार्ड कॉपी की तीन प्रति में उप वन संरक्षक एवं यूजर ऐजेन्सी के हसताक्षर नही है एवं सम्पूर्ण दस्तावेज भी संलग्न नही है वर्तमान में प्रसताव में कमियां है अतः कमियों की पूर्ती के उपरांत ही हार्ड कापी 2 प्रति में प्रस्तुत किया जाना प्रस्तावित है।

अतः प्रस्ताव में मुख्य वन संरक्षक को सूचना भिजवाने हेतु प्रस्ताव वापस ऑनलाइन लौटाया जाकर सूचना भिजवाने हेतु निर्देशित किया जाता है।